राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, तल–5, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschoolrcse@gmail.com

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/मॉडल स्कूल–संचालन/स्कूल बैंड प्रतियोगिता–222/ 2620 दिनांक : 13/07/2023

बैण्ड प्रतियोगिता दिशा–निर्देश : सत्र 2023–2024

पीएबी सत्र 2023–24 में बैण्ड प्रतियोगिता हेतु राशि 5 लाख एक मुश्त स्वीकृत किये गये है। इस प्रतियोगिता का अयोजन क्लस्टर स्तर,, राज्य स्तर व जोन स्तर पर किया जायेगा। विभिन्न स्तरों पर करवायी जाने वाली इस प्रतियोगिता हेतु दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है :–

क्लस्टर स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन

1. प्रतियोगिता में प्रत्येक मॉडल विद्यालय से 25 छात्र/छात्रा वर्ग की केवल एक ही टीम भाग ले सकेगी।
2. प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम में 25 प्रतिभागी बैण्ड प्रतियोगिता के 25 वादन यंत्रों सहित उपस्थित होने अनिवार्य है।
3. बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेनी वाली प्रत्येक टीम के साथ दो अध्यापक/अध्यापिका टीम प्रभारी के रूप में उपस्थित होंगे।
4. प्रत्येक स्तर पर बैण्ड प्रतियोगिता की थीम देश भक्ति गीत, लोक गीत या शास्त्रीय धुन होगी।
5. बैण्ड प्रतियोगिता में बैण्ड वादन की अवधि 7 मिनट होगी।
6. बैण्ड प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को विद्यालय स्तर पर निर्धारित बैण्ड गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य है।
7. बैण्ड प्रतियोगिता में छात्र तथा छात्राओं की पृथक–पृथक टीम होगी। किसी भी स्थिति में छात्र/छात्राओं की मिश्रित टीम नहीं होगी।
8. क्लस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतियोगता स्थल पर निर्णायक के रूप में पुलिस के अधिकारी/कार्मिक आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।
9. क्लस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में मॉडल विद्यालय क्लस्टर के समस्त विद्यालयों को भाग लेना अनिवार्य होगा।
10. क्लस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतियोगिता स्थल का चयन क्लस्टर स्तर के समस्त संस्था प्रधानों की सहमति से किया जायेगा।
11. क्लस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता को भव्य बनाये जाने हेतु भामाशाह/दानदाता का सहयोग लिया जाये ।
12. क्लस्टर स्तर पर बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम आयोजित स्थल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1000/– रुपये जमा करवायेगी। यह राशि विद्यालय के गतिविधि मद से दी जायेगी। क्लस्टर विद्यालय उक्त राशि को विद्यालय विकास कोष में जमा कर क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन में व्यय करेगा।

13. क्लस्टर स्तर पर छात्र वर्ग की प्रतियोगिता छात्र वर्ग के साथ एवं छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता छात्रा वर्ग के साथ ही आयोजित की जायेगी।
14. क्लस्टर स्तर पर छात्र व छात्रा वर्ग की अलग–अलग विजेता टीम घोषित की जाएगी।
15. क्लस्टर स्तर पर विजेता छात्र/छात्रा की टीम राज्य स्तर पर आयोजित बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेगी।
16. क्लस्टर स्तर पर आयोजित होने वाले बैण्ड प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर से कोई राशि का प्रावधान नहीं है। क्लस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता का समस्त व्यय प्रतिभागी विद्यालयों द्वारा भामाशाहों के सहयोग से स्वयं वहन किया जायेगा।

राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन

1. राज्य स्तर की बैण्ड प्रतियोगिता का आयोजन स्थल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
2. राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के निर्णायक दल में कम से कम तीन सदस्य होने अनिवार्य है तथा जिनमें दो सदस्य पुलिस के अधिकारी/कार्मिक तथा एक शिक्षा अधिकारी संवर्ग से होंगे।
3. राज्य स्तर पर बैण्ड वादन की अधिकतम अवधि 7 मिनट की होगी तथा सम्पूर्ण टीम को निर्धारित गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. राज्य स्तर पर बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम आयोजित स्थल पर रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 1500/– रुपये जमा करवायेगी। यह राशि भी विद्यालय के गतिविधि मद से दी जायेगी।
5. राज्य स्तर पर बैण्ड प्रतियोगिता की छात्र/छात्रा वर्ग की अलग–अलग प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी तथा अलग–अलग ही विजेता घोषित किये जायेंगे।
6. राज्य स्तर पर भाग लेने वाली प्रत्येक टीम के प्रत्येक सदस्य को 400/– रुपये के हिसाब से भोजन, नाश्ता एवं आवास हेतु राशि प्रदान की जायेगी। यह राशि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सम्बन्धित आयोजक विद्यालय को दी जायेगी। (एक टीम में 2 शिक्षक एवं 25 विद्यार्थियों सहित अधिकतम 27 सदस्यों को ही राशि देय होगी)
7. राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली बैण्ड प्रतियोगिता हेतु संबंधित जिलो से भाग लेने वाली मॉडल स्कूल टीम के आवागमन का व्यय जिला एमएमईआर मद से व्यय किया जा सकेगा।
8. क्लस्टर स्तर पर बालक एवं बालिका वर्ग से अलग–अलग प्रथम विजेता टीम राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेगी।
9. कार्यक्रम में सहयोग एवं चयनित विजेताओं को नगद राशि/अन्य उपहार प्रदान करने हेतु भामाशाहों का सहयोग लिया जावे।

बैंड प्रतियोगिता हेतु व्यय विवरण : 2023–24

क्र.सं.	प्रतियोगिता स्तर	व्यय हेतु राशि रूपये में	वि.वि.	समय सीमा
1.	राज्य स्तर पर बैण्ड क्रय	2,00,000	1 सैट बैण्ड राज्य परियोजना निदेशक / आरएससीईआरटी / सीमेट कार्यालय हेतु क्रय किया जाना है ।	जून, 2023
2	क्लस्टर स्तर	क्लस्टर अधिनस्थ विद्यालयों से प्राप्त राशि प्रति विद्यालय 1000 / –	क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्यय	सितम्बर ,2023
3	राज्य स्तर	13X27 X400=1,40,400/- एवं आयोजक विद्यालय को भोजन, कुर्सी–टेबल, साज–सज्जा, पुरस्कार एवं अन्य विविध खर्चों के लिए अतिरिक्त रू	13(क्लस्टर)X27(छात्र–शिक्षक)X400 रू (भोजन, नाश्ता एवं आवास हेतु)	अक्टूबर 2023
4	राज्य स्तर पर विजेता टीम–02 (छात्र व छात्रा)	1x50000=50000 (पौशाक एवं प्रशिक्षण) 1x50000=50000 (पौशाक एवं प्रशिक्षण) Total = 100000	राज्य स्तर पर छात्र व छात्रा वर्ग से विजेता टीम को जोनल व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए	नवम्बर, 2023
		कुल राशि रू 5,00,000 / –		

राज्य स्तर पर व्यय विवरण

राज्य स्तर पर प्रतियोगिता हेतु उपरोक्त सारणी के अतिरिक्त दिशा–निर्देश में दिये गये अनुसार आयोजन कर्ता विद्यालय को रू 1500 / – क्लस्टर स्तर से चयनित प्रत्येक टीम से रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त आयोजक विद्यालय को रू 59,600 / –एक मुश्त देय होंगे। जिन्हें निम्नानुसार व्यय किया जाना है :–

आयोजक विद्यालय हेतु प्राप्त राशि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि	विशेष विवरण
(अ)	**रजिस्ट्रेशन शुल्क**	1500 X 13 = 19500 / –	
(ब)	**पीएबी 2023–24 से (आयोजक विद्यालय को कुर्सी, टेबल, साज–सज्जा, पुरस्कार एवं विविध खर्चों हेतु)**	59,600 / –	
(स)	**पीएबी 2023–24 से (आयोजक विद्यालय को प्रतिभागियों के भोजन, नाश्ता एवं आवास हेतु)**	1,40,400 / –	
	योग	**2,19,500 / –**	

<u>व्यय हेतु राशि विवरण</u>

(संभागियों की संख्या 27 X 13 = 351 व आयोजक स्थल के अन्य कार्मिक, दानदाता एवं भामाशाह सहित लगभग 400 व्यक्ति)

क्र.सं.	विवरण	राशि रू. में	विशेष विवरण
(अ)	भोजन, नाश्ता एवं आवास	80 रुपये X 400 व्यक्ति = 32,000/–	—
(ब)	साउण्ड, टैंट, कुर्सी, टेबल एव साजसज्जा इत्यादि	25,000/–	—
(स)	पुरूस्कार (प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह)	60 X 200 = 12,000/–	1. छात्र–छात्रा वर्ग में विजेता 50 प्रतिभागी 2. छात्र–छात्रा वर्ग में 2 विजेता टीमों हेतु शील्ड 3. निर्णायक दल के 3 सदस्यों को स्मृति चिन्ह 4. छात्र–छात्रा वर्ग में विजेता टीम प्रभारी को स्मृति चिन्ह 4 5. राज्य प्रतिनिधि को स्मृति चिन्ह 1 कुल 60 पुरस्कार (प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह)
(द)	अन्य विविध व्यय	10,100/–	
(य)	(आयोजक विद्यालय को प्रतिभागियों के भोजन, नाश्ता एवं आवास हेतु)	(13(क्लस्टर)X27(छात्र–शिक्षक)X400रू) = 1,40,400/–	
	कुल योग	2,19,500	

❖ **बैंड प्रतियोगिता के संबंध में प्रधानाचार्य के दायित्वः–**

1. विद्यालय स्तर पर बैंड प्रतियोगिता हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना।
2. विद्यार्थियों के लिये बैंड वादन सिखाने हेतु विज्ञ कार्मिक की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं छात्राओं हेतु महिला कार्मिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय स्तर पर चयनित बैंड के विद्यार्थियों की सूची क्लस्टर विद्यालय को उपलब्ध कराना।
4. प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु भामाशाहों का सहयोग लेना।

❖ **बैंड प्रतियोगिता के संबंध में क्लस्टर विद्यालय संस्था प्रधान के दायित्वः–**

1. क्लस्टर स्तरीय बैंड प्रतियोगिता हेतु विद्यालय स्तर से प्राप्त बैंड की सूची समेकित करना एवं उक्त सूची के आधार पर क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता हेतु व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
2. दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रतियोगिता के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्मिकों की नियुक्ति करना।
3. बैंड प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु भामाशाहों का सहयोग लेकर एवं विद्यालयों से प्राप्त रजिस्ट्रेशन शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए प्रतिभागियों हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले विभिन्न प्रतिभागियों की निम्नलिखित फॉरमेट में सूचना एवं प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतियोगिता संबंधित फीडबैक को राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना ताकि उक्त प्रतियोगिता की बेहतर मॉनिटरिंग की जा सके।

क्र. स.	विद्यालय का नाम	क्लस्टर स्तर पर विजेता प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी छात्र–छात्राओं के नाम	बैंड टीम का फीडबैक	संस्थाप्रधान / प्रतिनिधि का फीडबैक
1.	2	3	4	5

❖ **राज्य स्तर पर बैंड प्रतियोगिता आयोजन के सम्बन्ध में दायित्व :–**

1. बैंड प्रतियोगिता की राज्य एवं क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता की टाईम लाईन तय करना।
2. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु स्थान व दिनांक का निर्धारण करना।
3. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना।
4. बैंड क्रय (2.00 लाख रुपये), जोनल लेवल हेतु प्रेषित राशि (1.00 लाख रुपये) एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु राशि रुपये 2.00 लाख कुल 5.00 लाख रुपये के व्यय की प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि करवाना।
5. क्लस्टर एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से प्राप्त विभिन्न फीडबैक को समेकित कर भारत सरकार को अवगत कराना एवं आगामी प्रतियोगिता के बेहतर संचालन हेतु दिशा–निर्देशों को अद्यतन करना।
6. राज्य स्तरीय विजेता टीम (छात्र–छात्रा) को जोन स्तर पर भाग लेने के लिए पौशाक एवं प्रशिक्षण हेतु 50–50 हजार रुपये राशि जारी करना।

लेखा संबंधी बिन्दु :–

1. उक्त राशि का व्यय जी.एफ. एंड ए.आर. के नियमानुसार कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
2. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जावे।
3. राशि का व्यय योजना के दिशा–निर्देश एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पूर्व पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023–24 की पीएबी में स्वीकृत अनुसार मद 100.0.1 से किया जायेगा।

यह दिशा–निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ.अनिल कुमार)
अतिरिक्ति राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा, सम्बन्धित जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, सम्बन्धित जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, समस्त ब्लॉक।
10. संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, समस्त ब्लॉक।
11. रक्षित पत्रावली।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपायुक्त–प्रथम
(मुरारी लाल शर्मा)
उपायुक्त